**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 139945 / पटना, दिनांक 25/02/2013

*सं0सं0- ग्रा0वि0-07-02/08 (खंड-I)*

प्रेषक,

**मुकेश कुमार सिन्हा,**
विशेष कार्य पदाधिकारी
ग्रामीण विकास विभाग

सेवा में,

**सभी उप विकास आयुक्त**

**विषय:-** **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत दिनांक- 31.12.2011 तक कराये गये कार्यो की राशि का भुगतान हेतु दिशा-निर्देश देने के संबंध में ।**

**प्रसंग:-** विभागीय पत्रांक- SRLM/RD/01/11/04 दिनांक- 04.08.2011, SRLM/RD/01/11/46 दिनांक- 13.06.12 एवं RD/SRLM/01/11/59 दिनांक- 19.09.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 31.12.11 तक कराये गये कार्यो का नियमानुसार राशि भुगतान कर देने का निदेश दिया गया था ।

प्रासंगिक पत्र द्वारा स्पष्ट निदेश के पश्चात भी विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभकरणों द्वारा दिनांक- 31.12.12 तक SHG की परिक्रमी निधि, प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण, बैंक ऋण सह अनुदान, आधारभूत संरचना मद में राशि व्यय करने एवं SGSY के लंबित अनुमान्य बकाये भुगतान के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की जाती रही है, जो उपयुक्त नहीं है ।

विदित हो कि पूर्व में विभागीय निदेशानुसार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 31.12.11 तक कराये गये कार्यो का नियमानुसार दिनांक- 30.11.12 तक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश दिया गया था । तथापि लंबित भुगतान के संबंध में निदेश देने हेतु विभाग को आवेदन प्राप्त हो रहे है । इस परिप्रेक्ष्य में लंबित भुगतान करने की अवधि दिनांक- 31.03.2013 तक विस्तारित की जाती है ।

अनुरोध है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 31.12.11 तक कराये गये कार्यो के लंबित अनुमान्य बकाये भुगतान दिनांक- 31.03.2013 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा इसके खाते का reconciliation करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

25/2/13

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 139945 / पटना, दिनांक 25/02/2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/2/13

विशेष कार्य पदाधिकारी